This resource was made possib e through the support of the U.S. Agency for Internationa Develop ment (USAID) under the terms of the Internationa HIV/AIDS Alliance's Award Number HRN-G-oo-98-00010-00. The opin ons expressed herein do not necessar ly reflect the views of USAID.

International HIV/AIDS Alliance
Support ng Community Action on AIDS n Developing Countries

International HIV/AIDS Alliance
Queensberry House
104-106 Queens Road
Br ghton BN1 3XF
United Kingdom

Tel: +44 1273 718 900
Fax: +44 1273 718 901

E-mail: ma l@aidsa liance.org
Webs tes: www.aidsal ance.org
www.a dsmap.com

यह गाइड भारत में एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित बच्चों के साथ कार्य करने वाली सरकारी व स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के लिए बनाई गई है। यह गाइड कार्य योजना, सामुदायिक स्तर पर क्रियान्वयन और नीति निर्धारण के लिए उपयोग में लाई जा सकती है।

अधिक प्रतियों के लिए नीचे दिये गये पते पर संपर्क करें।

चेतना
लीलावतीबेन लालभाई बंगला, सिविल कैम्प रोड, शाहीबाग, अहमदाबाद-380004, गुजरात, भारत
फोन : +91-79-22866695, 22868856, 22149938
फैक्स : +91-79-22866513, 22113005
ई-मेल : chetna@icenet.net
वेबसाइट : chetnaindia.org

प्रकाशन : चेतना

भारत के लिए गाइड

आओ रचें इन्द्रधनुष

एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित बच्चों के साथ कार्य करने हेतु समुदाय आधारित मार्गदर्शिका

International HIV/AIDS Alliance
Support ng Commun ty Action on AIDS n Dev ping Countr es

शिक्षा और प्रशिक्षण

चेतना चाईल्ड रिसोर्स सेन्टर CRC चैतन

चेतना के बारे में...

चेतना (सेन्टर फॉर हेल्थ एज्युकेसन, ट्रेनिंग एन्ड न्युट्रीशन एवेरनेस) अहमदाबाद, गुजरात स्थित एक स्वयंसेवी सहायक संस्था है। जिसका ध्येय है विकास की धारा में पिछड़ीं हुई महिलाओं, युवावर्ग और बच्चों को ज्ञान व कौशल देकर अधिक सक्षम बनाना, जिससे वे स्वयं के, परिवार के और समुदाय के स्वास्थ्य और जीवन में सुधार ला सकें।

चेतना का उद्‌भव 1980 में हुआ था। अहदाबाद में और जयपुर, राजस्थान में चेतना के कार्यालय कार्यरत हैं।

वर्तमान में चेतना अपनी सेवाएँ दो संसाधन केन्द्रों द्वारा प्रदान कर रही है। बाल स्वास्थ्य एवं विकास संसाधन केन्द्र-चैतन व महिला स्वास्थ्य एवं विकास संसाधन केन्द्र-चैतन्या का आरंभ क्रमशः जून 1991 एवं अक्टूबर 1992 में किया गया। दोनों केन्द्र महिलाओं और बच्चों की आवश्यक्ताओं को सभी अवस्थाओं में सम्बोधित करते हैं। सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाओं की क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन करना और जानकारी के प्रसार हेतु आवश्यक्तानुसार शिक्षा और प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना, चेतना की मुख्य गतिविधियाँ है।

अहमदाबाद में आयोजित प्रशिक्षण, चेतना के निवासीय व्यवस्था से सुसज्ज हेरिटेज प्रशिक्षण केन्द्र में आयोजित किये जाते हैं। चेतना संस्था में लीलावतीबेन लालभाई प्रवृति केन्द्र की शुरुआत की गई है। इस केन्द्र के द्वारा आसपास की कच्ची बस्तियों की महिलाओं एवं बच्चों की स्वास्थ्य और विकास लक्षी जरुरतें पूरी की जा रही है। शिक्षा एवं विकास में जुडी हुई संस्थाओं के साथ समन्वयन स्थापित करके महिलाओं, युवावर्ग एवं बच्चों के विकास के लिये उचित जीवन उपयोगी मार्गदर्शन, संदर्भ सेवाएँ एवं शालाओं में एच.आई.वी./एड्स की शिक्षा आदि उपलब्ध करवाई जाती है।

सरकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं तथा अन्य व्यक्तियों को जानकारी देने हेतु प्रलेखन केन्द्र भी आरंभ किया गया है। जिसका उपयोग स्वयंसेवी एवं सरकारी संस्थाएँ, विद्यार्थियों और शैक्षणिक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए व्यक्ति अपनी समझ एवं ज्ञान बढ़ाने के लिये करते हैं। समाज के अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचने के लिये चेतनाने बाल केन्द्रित माहिती और प्रलेखन केन्द्र नवम्बर, 2003 में शुरु किया है।

शिक्षा और विकास - मेरा अधिकार

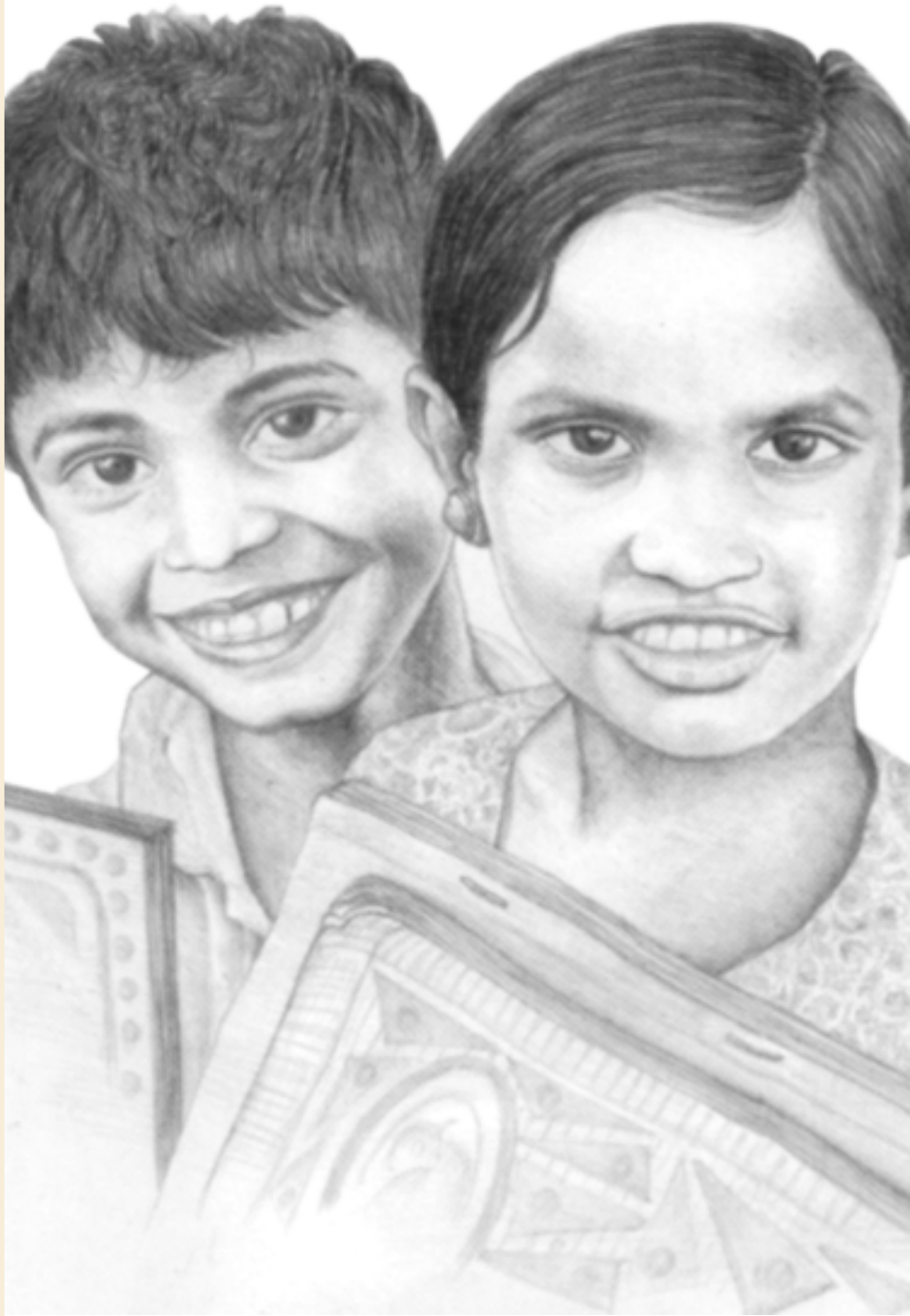

आभारोक्ती

इन्टरनेशनल एच.आई.वी./एड्स एलायन्स उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करती है जिन्होंने इस गाइड को प्रकाशित करने में योगदान दिया है।

एशिया गाइड डेवलपमेन्ट ग्रुप के सदस्य

Kate Harrison, Programme Officer - Children, Claire Stern, Programme Assistant - Technical Support International for HIV/AIDS Alliance , Kathy Attwell - Independent Consultant, Minaxi Shukla, Deputy Director - (Child Resource Centre-CRC), Centre for Health Education, Training and Nutrition Awareness (CHETNA), Ms.Shruti Shah - School Health Consultant, CRC, CHETNA, Vaijyanti Bagwe, Madhavi Shinde - Committed Communities Development Trust, Ishdeep Kohli, Independent Consultant, Himalini Verma, Programme Officer - Thoughtshop Foundation, Ms. Nirmala Antony, Project Director - Young Women's Christian Association (YWCA), Neelam Dang, Secretary - Women's Action Group – Chelsea, Dr.Sangeeta Kaul - MAMTA, Ms. Veena Johri - Lawyers Collective HIV/AIDS Unit, Pratin Dharmarak, Deputy Director - Family Health International (Cambodia), Ma Kol Chenda - KHANA, Ms. Im Phallay- Independent Consultant, Uy Soung Chhan Sothy, Indradevi Association - IDA, Dr. Srey Mony, Project Manager - World Vision, Mr.San Van Din - Partners in Compassion, Mrs. Aing Chamroeun, Director - NAPA (National Prosperity Association), Neth San Sothy, Deputy Chief of BCC Unit - NCHADS, Cheng Choor Virith - SCUK Cambodia, Dr. Sok Sophal - Friends, Ms. Sum Sitha - CARE, Lim Vannak - C/o. KHANA, Chitima Saisaengjan (Oui), Programme Officer - AIDSnet (AIDS Network Development Foundation), Jarukanya Rearnkham (Awe), Programme Officer - AIDSnet (AIDS Network Development Foundation), Nisachol Ounjit - Medecins Sans Frontieres- Belgium, Ms. Wichitra Apateerapong, Research Nurse - HIV-NAT (The HIV Netherlands Australia Thailand Reseach Centre Collaboration, Kanyarat Klumthanom, Project Cordinator - Thailand MOPH-USCDC Collaboration (TUC), Ms. Suchada Suwanthes - NORTHNET Foundation, Montira Montiantong - Special Projects Office, Office of the National Primary Education Commission Ministry of Education, Srilada Ketwong, Manager - Foundation for Slum Child Care, Prudence Borthwick - UNICEF, Usa Khierwrod, Programme Officer - Help Age International, Sirinate Piyajitpirat, Manager - AIDSnet (AIDS Network Development Foundation) and **Community Workers and Counselors of International HIV/AIDS Alliance**.

हम चेतना टीम के सदस्य इन्दु कपूर, मीनाक्षी शुक्ल, पल्लवी पटेल, श्रुति शाह और ईला वखारिया के आभारी हैं, जिन्हों ने इस गाइड के रुपांतर में तथा सजावट के लिये अनिल गज्जर, रेखाचित्र के लिये नागजी प्रजापति और टाईप सेटींग के लिये इमरान उज्जैनवाला ने अपना योगदान दिया है।

इन्टरनेशनल एच.आई.वी./एड्स एलायन्स एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो 1993 से विकासशील देशों में समुदाय आधारित कार्यक्रमों को सहयोग दे कर एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम, प्रभावित लोगों की देखभाल और बच्चों को सहयोग देने में अपना योगदान दे रही है। यह गाईड एलायन्स के वित्तीय व तकनीकी सहयोग से तैयार की गई है।

इस गाइड का उपयोग किसी भी रुप में किया जा सकता है। इसे एच.आई.वी./एड्स सम्बन्धित कार्यों से जुड़े कार्यकर्ता या संस्थाओं में बांटा, अपनाया अथवा अनुवादित किया जा सकता है।

गाइड के बारे में...

यह गाइड सात पुस्तिकाओं का समुह है जो समुदाय में खास कर एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित बच्चों की जरुरतों को समझने हेतु बनाई गई है। इसका प्रयोग स्थानीय/स्वयंसेवी संस्थाओं, स्थानीय सरकार और समुदाय के लोगों द्वारा किया जा सकता है। इसे इन्टरनेशनल एच.आई.वी./एड्स एलायन्स ने USAID के आर्थिक सहयोग से तैयार किया है।

जून 2003 में चांग माई, थाईलैण्ड में इन्टरनेशनल एच.आई.वी./एड्स एलायन्स द्वारा आयोजित शिविर में थाईलैण्ड, कम्बोडिया और भारत में एच.आई.वी./एड्स से जुड़े मुद्दों पर और प्रभावित बच्चों के साथ काम करने वाली संस्थाओं और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया था। इस शिविर के अंत में क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के लिये अंग्रेजी में यह गाइड तैयार की गई।

यह गाइड सहभागी पद्धति से और इन्टरनेशनल एच.आई.वी./एड्स एलायन्स के सलाहकारों के सहयोग से बनाई गई। इसे तैयार करते समय भारत, थाईलैण्ड और कम्बोडिया के सहभागियों ने अपने-अपने अनुभवों के आधार पर केस-स्टडी और उदाहरण उपलब्ध करवाए थे। इस समूह को इस गाइड में एशिया गाइड डेवलपमेन्ट ग्रुप के नाम से संबोधित किया गया है।

एशिया में राष्ट्रीय और स्थानीय उपयोग के लिए इस गाइड को भारत में अपनाया और अनुवादित किया गया। भारत के लिए तैयार की गई हिन्दी गाइड का रुपांतर और संकलन राष्ट्रीय सलाहकार के रुप में चेतना - सेन्टर फॉर हेल्थ एज्युकेशन, ट्रेनिंग एण्ड न्यूट्रीशन अवेयरनेस, अहमदाबाद, भारत द्वारा संपादित किया गया है। इस गाइड के हिन्दी रुपांतर के बाद चेतना द्वारा गाइड की सभी सात पुस्तिकाओं का रीव्यू तथा क्षेत्रीय परीक्षण किया गया। इसके रिव्यू में भारत के एशिया गाइड डेवलपमेन्ट ग्रुप के सदस्यों के अलावा संधान, यंग सिटीजन चेरीटेबल ट्रस्ट ऑफ इन्डिया, इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेनजमेन्ट रिसर्च, नाज़ फाउन्डेशन, सेन्ट्रल हेल्थ एज्युकेशन ब्यूरो (CHEB) और चेतना टीम के सदस्यों द्वारा योगदान दिया गया। क्षेत्रीय परीक्षण दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों की सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में किया गया।

गाइड में दी गई केस स्टडी में पात्रों के नाम और स्थान बदल दिये गये हैं। आम बोल चाल की भाषा में ज्यादा उपयोग होने वाले अंग्रेजी शब्दों को इस गाइड में अंग्रेजी में ही इस्तेमाल किया गया है।

इस गाइड में छः पुस्तिकाएँ और एक ओवरव्यू पुस्तिका शामिल हैं।

प्रस्तावना

एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित परिवारों के बच्चों के स्कूल में भर्ती होने तथा नियमित रुप से स्कूल जाने की संभावना कम होती है। स्कूल में शायद वे उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते जितना करने की उनमें क्षमता होती है। वे दुःख और चिन्ता से घिरे रहते हैं, अलग-थलग रहते हैं और उन पर एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित व्यक्ति होने का कलंक रहता है जिसके कारण वे भेदभाव के शिकार भी होते हैं।

अधिकांशतः गरीबी की वजह से बच्चे भूखे-प्यासे और थके-मांदे स्कूल जाते हैं। अतः वे कक्षा में पूरा ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाते और दूसरे बच्चों से पिछड़ जाते हैं। एच.आई.वी. से प्रभावित कुछ बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि परिवार की आर्थिक जरुरतों को पूरा करने हेतु उन्हें कमाने जाना पड़ता है या घर के काम करने होते हैं। ज्यादातर, उन्हें बड़ों की सहायता और मार्गदर्शन भी नहीं मिल पाता। यह विशेष रुप से लड़कियों के साथ ज्यादा होता है। यदि बच्चे इतने दिन स्कूल में नहीं टिक पाते कि वे साधारण पढ़ना-लिखना या अन्य योग्यताएँ प्राप्त कर लें तो इसका प्रभाव भविष्य में उनके प्रशिक्षण (व्यवसायिक कौशल) और रोजगार के अवसरों पर पड़ता है।

बच्चों के लिए यह बहुत जरुरी है कि वे स्कूल जाएँ और शिक्षा का पूरा लाभ उठायें। स्कूल उनके मानसिक विकास के लिए महत्त्वपूर्ण है। स्कूल से बच्चों को एक सुरक्षित सुगठित परिवेश, भावनात्मक सहायता, वयस्कों का सहयोग और दूसरे बच्चों के साथ मिलने-जुलने एवं सामाजिक संबंध बनाने के अवसर मिलते हैं। स्कूल में और स्कूल के बाहर प्राप्त शिक्षा से उनका ज्ञान और कौशल बढ़ता है। उन्हें अधिक अवसर मिलते हैं और इस जानकारी से एच.आई.वी./एड्स संक्रमण जैसे खतरों की संभावना कम हो जाती है।

बच्चों को व्यवसायिक प्रशिक्षण की भी जरुरत होती है। व्यवसायिक कुशलताओं को प्राप्त करने से भविष्य में उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकते हैं।

भारत में समुदाय के सभी बच्चे स्कूल जा पाये ऐसा संभव नहीं होता और अक्सर स्कूल बच्चों की संपूर्ण विकास की जरुरतों को पूरा भी नहीं कर पाती, इन परिस्थितियों में बच्चों के लिये स्कूल और समुदाय के स्तर पर जीवनपयोगी शिक्षा महत्वपूर्ण है।

बच्चों के मनोसामाजिक विकास के लिये शिक्षा अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

समस्याएँ (मुद्दे)

एच.आई.वी./एड्स के कारण शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसरों तक कम पहुँच।

- **गरीबी :** एच.आई.वी./एड्स के प्रभाव के कारण गरीबी में रहने वाले परिवार शायद स्कूल फीस न दे सकें। शिक्षा की बजाय उन्हें भोजन और दवाइयों को प्राथमिकता देनी पड़ती है। यदि स्कूल में शिक्षा निःशुल्क हो तो भी शिक्षा से जुड़े अन्य खर्च शायद परिवार की क्षमता के बाहर हों जैसे यूनीफोर्म, किताबें और स्कूल तक आने-जाने का खर्च। कभी-कभी गरीब बच्चों को स्कूल में जाने में झेंप आती है क्योंकि उनके पास किताबें या अच्छे कपड़े नहीं होते। कई प्रभावित बच्चे और बिना माता-पिता के बच्चे नियमित रुप से स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें घर की आय में और काम में योगदान देना होता है या अपना और अपने छोटे भाई-बहनों का भरण-पोषण करना होता है।

- **कमज़ोर स्वास्थ्य और कुपोषण :** एच.आई.वी. प्रभावित परिवारों के बच्चे या खुद प्रभावित बच्चे बार-बार बीमार पड़ते हैं। उनके रहने की परिस्थितियाँ ठीक नहीं होती, उन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिलता, माता-पिता की देखभाल और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुँच भी कम होती है। बीमार और कुपोषित बच्चों के स्कूल जाने की संभावना कम हो जाती है। यदि वे स्कूल जाते भी हैं तो वे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते और उनके लिए सिखना कठिन होता है।

- **परिवार के उत्तरदायित्व :** प्रभावित परिवार के बच्चे शायद स्कूल न जाएँ या बीच में स्कूल छोड़ दें क्योंकि उन्हें घर के काम, खेत में सहायता या परिवार के व्यवसाय में हाथ बँटाना पड़ता है। उन्हें बीमार माता-पिता और छोटे भाई-बहनों की देखभाल भी करनी होती है। इतने उत्तरदायित्वों के साथ शायद उनके पास स्कूल जाने का समय या शक्ति न हो। अधिकतर लड़कियाँ घर के काम में सहायता करने के लिए स्कूल जाना बंद कर देती हैं जिससे उनके रोज़गार सम्बन्धित भावी अवसरों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

मेरी कलम से...

युवा शक्ति का योगदान

भारत में 'थॉट शॉप फाउन्डेशन' ने एक युवा आंदोलन आरम्भ किया है जिसका नाम 'इगनाइटेड माइन्ड्स' (Ignited Minds) रखा गया है। इसमें 15-25 वर्ष के युवा, - एच.आई.वी./एड्स, यौन जीवन कौशलो और साथियों की सहायता करने के कौशलों पर कार्यशालाओं के लिये आते हैं और गरीब बस्तियों, स्कूलों और कॉलेजों में जाकर कार्यक्रम आयोजित करने के ढंग के और सहभागी तरीकों का उपयोग करना सीखते हैं।

'थॉट शॉप' उन बच्चों और युवाओं को, जिन्हें सहायता की जरुरत होती है, टेलीफोन द्वारा और आमने-सामने बैठकर भी परामर्श प्रदान करता है।

थॉट शॉप ने चाइल्ड इन नीड इंस्टिट्यूट के साथ मिलकर सहभागी तरीकों का विकास किया है जिसमें कहानियाँ, खेल, प्रतिमान सम्मिलित हैं। इसका उद्देश्य स्कूल न जाने वाले ग्रामीण और गरीब बस्तियों में रहनेवाले किशोरों के साथ संवेदनशील प्रजनन स्वास्थ्य और एच.आई.वी./एड्स की समस्याओं के बारे में चर्चा करना है।

एशिया गाइड डेवलपमेन्ट ग्रुप के सदस्य

समस्याएँ (मुद्दे)

निराशा : अपनी माता या पिता की मृत्यु से बच्चों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुँचती है। वे चिंता, उदासी और निराशा अनुभव करते हैं। उनका आत्मसम्मान कम हो जाता है और वे अलग-थलग रहने लगते हैं। इन कठिनाइयों से शायद वे स्कूल जाना बंद कर दें या अगर जाएँ भी तो ठीक से पढ़ाई न कर सकें।

कलंक और भेदभाव : प्रभावित परिवारों के बच्चे और एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित बच्चे शायद स्कूल न जाएँ या बीच में स्कूल छोड़ दें क्योंकि अन्य बच्चे या तो उन्हें चिढ़ाते हों या उनसे दूर रहते हों या अध्यापक उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हों। कभी-कभी उन्हें स्कूल छोड़ने को मजबूर किया जाता है क्योंकि अन्य बच्चों के माता-पिताओं का बहुत नकारात्मक दृष्टिकोण होता है। जिन स्थानों में लड़कियों की शिक्षा कम महत्त्वपूर्ण मानी जाती है वहाँ गरीब परिवारों में यदि यह निर्णय लेना हो कि किस बच्चे को स्कूल भेजा जाए, तो लड़कों के पक्ष में ही निर्णय होता है।

माता-पिता का नकारात्मक नज़रिया बच्चों को दुखी करता है।

मेरी कलम से...

मौन रुदन और छिपे आँसू

चेन्नई में दो बच्चे अपने दादा-दादी के साथ रह रहे थे। जब यह खबर फैली कि उनके माता-पिता की एड्स से मृत्यु हुई है, तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। उन्होंने कई स्कूल बदले परन्तु प्रत्येक बार उन्हें स्कूल से निकाला गया। अंत में एक स्कूल उन्हें भर्ती करने को राजी हुआ तो अन्य बच्चों के माता-पिता ने अपने बच्चों को स्कूल से हटा लेने की तैयारी की। **इसी तरह इन बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने और अन्य बच्चों के साथ खेलने के अधिकार से वंचित रखा जाता है।**

(**2002**, साइलेन्ट क्राइज एण्ड हिडन टियर्स/लोयर्स कलेक्टिव)

समस्याएँ (मुद्दे)

वयस्कों द्वारा सहायता की कमी : जिन बच्चों के माता-पिता नहीं हैं उन्हें कोई घर में कहने वाला नहीं होता है कि वे स्कूल जाएँ। कोई उनका होमवर्क (गृहकार्य) देखने वाला और उनकी सहायता करने वाला भी नहीं होता। जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो गई हो उनके पास शायद जन्म का प्रमाण-पत्र न हो जिसकी स्कूल में भर्ती के समय जरुरत पड़ती है। उनकी देखभाल करने वाले बुजुर्ग और अन्य रिश्तेदार शायद इन बच्चों को स्कूल भेजने में सक्षम न हों या भेजना ही नहीं चाहते हों। वे शायद ये अपेक्षा करते हों कि ये बच्चे घर के काम में सहायता करेंगे या बाहर जाकर काम करेंगे।

शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता : एच.आई.वी./एड्स का प्रभाव शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। यदि बच्चे स्वयं बीमार हों या उन्हें अपने परिवारवालों की देखभाल करनी होती है जो बीमार हैं तब उनकी शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है और बच्चे स्कूल में अनुपस्थित रहने लगते हैं। कभी-कभी बच्चे इसलिए स्कूल नहीं जाते क्योंकि वहाँ का पाठ्यक्रम उनके दैनिक जीवन या उनके भविष्य के लिए प्रासंगिक नहीं होता है। यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, खासकर एच.आई.वी./एड्स सम्बन्धित जानकारी एवं बुनियादी ज्ञान बच्चों को नहीं दिया जाता। वैसे भी कामकाजी बच्चों के लिए स्कूल का समय सुविधाजनक नहीं होता। यदि बच्चे किसी दिन स्कूल नहीं जा पाते तो उनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो उन्हें पिछला पाठ सिखा दे। हो सकता है कि जो बच्चे सबके साथ नहीं चल पाते उनकी पढ़ने की प्रेरणा ही शायद समाप्त हो जाए और वे सदा के लिए स्कूल छोड़ दें।

मेरी कलम से...

सहायता से शिक्षा की ओर...

केयर जो समुदाय में खासकर बच्चों एवं महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य सुधार के क्षेत्र में कार्य करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था हैं। एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित परिवारों की सहायता करती है जिससे बच्चे स्कूल जा सकें।

१३ वर्ष की एक लड़की के पिता की एच.आई.वी./एड्स से मृत्यु हो गई। उसकी माँ को भी एच.आई.वी./एड्स का संक्रमण था और वह हर समय बीमार रहती थी। अतः लड़की ने स्कूल जाना बंध कर दिया परंतु केयर की घर में सहायता प्रदान करने वाली टीमने आकर उसकी माँ की देखभाल शुरु कर दी और वह लड़की अब नियमित रुप से स्कूल जा रही है।

एशिया गाइड डेवलपमेन्ट ग्रुप के सदस्य

सिद्धांत एवं रणनीतियाँ

सिद्धांत - 1

बच्चों के शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को सुरक्षित करना चाहिए।

सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित बच्चों के लिये जो कार्यक्रम बनाए जायें, वे बच्चों के शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को बढ़ावा दें और ऐसी नीतियों का समर्थन करें जो सब बच्चों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करें।

बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में कहा गया है कि:

"प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे की बुनियादी जरुरत और अधिकार है।"

दिल्ली में यंग विमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन (YWCA) समुदाय में बच्चों को शिक्षा और परामर्श प्रदान करती है जिससे शिक्षा के अधिकार के बारे में उनकी जागरुकता बढ़ें।

कार्य के लिये रणनीतियाँ

शिक्षा के महत्त्व पर समुदाय की जागरुकता बढ़ाना।

संभवित कार्य :

- समुदायों, परिवारों और अभिभावकों को प्रोत्साहित करना कि वे अपनी देखभाल में बच्चों को शिक्षित करने का उत्तरदायित्व लें।
- प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देना जिसमें समुदायों को शिक्षा के फायदे समझायें जा सकें।
- परिवारों को बच्चों के शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारों के प्रति और उनके कानूनी उत्तरदायित्वों के प्रति जागरुक बनाएँ।
- सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार का समर्थन करें जिनमें एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित/ग्रसित बच्चे, कामकाजी बच्चे, सड़क पर रहने वाले बच्चे और सबसे गरीब बच्चे भी सम्मिलित हों।

लिंगभेद की सबके सामने चर्चा करें और उन्हें लड़कियों को शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण देने का महत्त्व बताएँ।

संभवित कार्य :

- उन रीति-रिवाजों को बदलने के समर्थन में बोलें जो कि लड़कियों को स्कूल जाने से रोकते हों और बाल विवाह का समर्थन करते हों।
- लड़कियों की शिक्षा के लिये अगर जरुरत हो तो फीस के लिये सहायता का लक्ष्य रखें और उन्हें छोटे भाई-बहनों की देखभाल व घरेलु कामकाज़ के बोझ से छूटकारा दिलाने के उपाय करें।

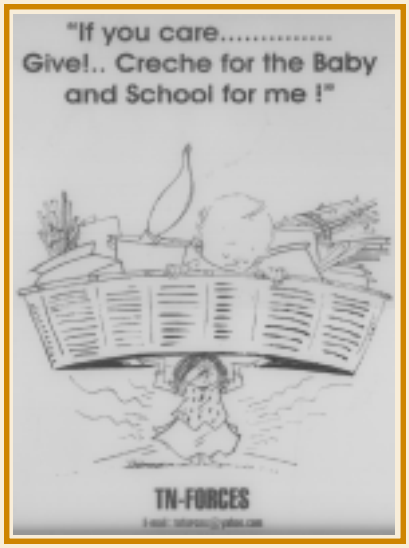

- स्कूल में लड़के और लड़कियों के लिये अलग-अलग शौचालय की सुविधा के लिये पैरवी करें।
- लड़कियों को गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे विषय पढ़ने के लिये प्रोत्साहित करें।
- इसे सुनिश्चित करें कि बच्चों को स्वयं अपने शिक्षा के अधिकार के बारे में मालूम हो।
- समुदाय में ऐसे व्यक्तियों को पहचानें जो बच्चों को स्कूलों में भर्ती करने के पक्ष में बातचीत कर सकें।

सिद्धांत एवं रणनीतियाँ

सिद्धांत - 2

सभी बच्चों को शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त होने चाहिए।

कार्यक्रमों द्वारा ऐसी रणनीतियों का समर्थन करें जिससे बच्चों की स्कूल और व्यवसायिक शिक्षा तक पहुँच बढ़े। इसका अर्थ है कि बच्चों की शिक्षा तक पहुँच में जो बाधाएँ हैं जैसे - आर्थिक, व्यवहारिक तथा कलंक और भेदभाव आदि, उनके समाधान ढूँढें जाएँ। बच्चों की फीस के लिये सहायता करें, ऐसे उपायों पर ध्यान केन्द्रित करें जिनसे समुदायों और परिवारों की, अपने बच्चों की शिक्षा में सहायता करने की क्षमता बढ़ें।

स्कूल की भूमिका

सेव द चिल्ड्रन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एच.आई.वी./एड्स से जुड़े कलंक को दूर करने में स्कूल एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उसके कारण एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित लोगों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ सकता है। अब तक लोग एच.आई.वी./एड्स प्रभावित लोगों से डरते और भेदभाव करते थे पर अब ऐसा लगता है कि समुदाय में धीर-धीरे जागरुकता आ रही है।

कार्य के लिये रणनीतियाँ

समुदाय और परिवार की बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने की क्षमता को बढ़ाएँ।

संभवित कार्य :

- सभी बच्चों के लिये बालबाड़ी और नर्सरी स्कूल स्थापित करवायें जिससे बच्चों को प्राथमिक स्कूल में जाने से पहले अच्छी शुरुआत मिल सके और उनके बड़े भाई-बहन भी स्कूल जा सकें।
- आय बढ़ाने वाले कार्यों में सहायता करें जिससे गरीब परिवारों में शिक्षा को प्राथमिकता मिलें।
- बीमार वयस्कों की देखभाल के लिए सहायता प्रदान करें (जैसे - घर में देखभाल के लिये कार्यक्रम या स्वैच्छिक कार्यकर्ता की उपलब्धि जो बीमारों को सहायता दें) जिससे अपने बीमार माता-पिता की देखभाल करने वाले बच्चे स्कूल जा सकें।
- एच.आई.वी./एड्स प्रभावित परिवारों के दादा-दादी जो अपने पोते-पोती को स्कूल भेजने के लिये इस आयु में भी काम करते रहते हो उनको व्यवहारिक सहायता, जैसे बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने की सुविधा, घर के कामों में सहायता, पानी या राशन पहूँचाना आदि देनी चाहिए।

हाँ चाचा... यह फंड हमारे समुदाय के बच्चों के लिये है।

- समुदायों के सदस्यों को प्रोत्साहित करें कि वे सब इकट्ठे हो कर स्कूलों और अध्यापकों के साथ उन एच.आई.वी./एड्स प्रभावित बच्चों की ओर से बातचीत करें जिनके माता-पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं।

सिद्धांत एवं रणनीतियाँ

स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका

स्वयंसेवी संस्थाएँ सामुदायिक कोष स्थापित कर सकती हैं जिससे स्कूल फीस के लिये धन इकट्ठा किया जा सके। यह कोष किसी भी बच्चे की आर्थिक सहायता कर सकता है जो गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा सकते ना कि केवल एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित बच्चों की क्यों कि ऐसा करने से एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित बच्चों को लांछन और कलंक का सामना करना पड़ सकता है।

एशिया गाइड डेवलपमेन्ट ग्रुप के सदस्य

संतों से नई सीख

भारत में धार्मिक नेताओं का काफी आदर किया जाता है। हमें धार्मिक नेता से बातचीत करके उनका सहयोग लेना चाहिए, ताकि वे लोगों को सही रहन सहन और व्यवहार के बारे में बताएँ, जिससे एच.आई.वी./एड्स से बचाव और देखभाल के बारे में लोगों की समझ बढ़ें। सभी धार्मिक संस्थाओं को प्रेरित करें कि वे अपनी आय में से एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित लोगों के बच्चों के लिये छात्रवृत्ति दें, जिससे ये बच्चे स्कूल जा सकें। धार्मिक संस्थाओं को पाठ्यपुस्तकें, पैन, नोटबुक आदि भी अनुदान में मिल सकता हैं जिन्हें वे बच्चों में वितरित कर सकते हैं और वे उन्हें यूनीफोर्म भी प्रदान करवा सकते हैं।

एशिया गाइड डेवलपमेन्ट ग्रुप के सदस्य

गरीब परिवारों के बच्चों और बिना माता-पिता के बच्चों की शिक्षा के खर्चे में सहायता करना।

संभवित कार्य :

- स्थानीय शिक्षा अधिकारियों और स्कूलों में जाकर स्कूल फीस कम करने या माफ करने के बारे में बात करना।
- सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता उन तक पहुँचाना।
- परिवारों और समुदायों से श्रम और सामान के रुप में भुगतानों को स्वीकार करना।
- समुदायों को प्रोत्साहित करें कि वे विशेष कोष स्थापित करें जिसमें से फीस तथा शिक्षा के अन्य खर्चे दिए जा सके।
- स्कूल में सामान और उपकरणों के लिये सहायता की योजनाएँ चलाना।
- धार्मिक और निजी क्षेत्र के संगठनों के द्वारा छात्रवृत्तियों की योजनाएँ स्थापित करवाना।
- अगर प्रभावित बच्चों के पास जन्म का प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज उपलब्ध न हो तो नियमों में लचिलापन बरत कर उन्हें स्कूल में दाखिला मिलना चाहिए।

लांछन और भेदभाव कम करना।

संभवित कार्य :

- स्थानीय शिक्षा अधिकारियों से ऐसी नीतियों के समर्थन में बात करें जो बच्चों को स्कूल में भेदभाव से बचाएँ। साथ ही रोग के संक्रमण से बचने के लिये व्यापक सतर्कताएँ आरम्भ की जाये और संक्रमण का डर कम किया जायें।
- स्कूल के प्रधानाचार्यों, अध्यापकों और माता-पिताओं को एच.आई.वी./एड्स के बारे में जानकारी दें और उन्हें बताएँ कि कलंक और भेदभाव का बच्चों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है।
- अध्यापकों को प्रशिक्षित करना जिससे वे कलंक और भेदभाव का सामना करना सीखें और साथ ही बच्चों को मानसिक और भावनात्मक सहारा दे सकें।
- समुदाय में ऐसे स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को पहचानें जो प्रभावित बच्चों के पक्ष में स्कूलों से और माता-पिताओं से बात कर सकें।
- बच्चों के लिये परामर्श की व्यवस्था करें जिससे वे अपने मन की बात खुलकर कह सकें और नकारात्मक दृष्टिकोण का सामना कर सकें।

सिद्धांत एवं रणनीतियाँ

मेरी कलम से...

चाइल्ड- टू- चाइल्ड

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रो में अक्सर माता-पिता दोनो को जीवीकोपार्जन के लिए घर से बाहर जाना पडता है, ऐसी परिस्थितिमें जब माता-पिता उपस्थित नही होते है तब बड़े बालको को उनके प्रतिनिधि की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। परंतु अक्सर बड़े बालक पूर्ण रुप से इस कार्य में सक्षम नहीं होते। इसी को ध्यान में रखते हुए लंदन में १९७९ में चाईल्ड-टु-चाईल्ड की संधारणा बनी। चाईल्ड-टु-चाईल्ड जीवनपयोगी शिक्षा का अभीगम है। जिसके परिणाम स्वरुप बालक आत्मविश्वासी बनते है और दैनिक जीवन से जुडी शिक्षा प्राप्त करके वे परिवर्तन दूत बनते है।

बालक ना सिर्फ अपने छोटे भाई बहनों हम उम्र मित्रों, परिवार के सदस्यों व समूदाय को भी प्रभावित करने की क्षमता पाते है।

स्कूल और समुदाय में बच्चे अपने छोटे भाई-बहनों को और अन्य बच्चों को जीवनोपयोगी शिक्षा सहभागीपूर्ण तरीकों से देते हैं और एच.आई.वी./एड्स के प्रति जागरुकता बढ़ाने में अपनी सहायता प्रदान करते हैं। यह चाइल्ड-टू-चाइल्ड अभिगम के क्रियान्वयन के रुप में चेतना संस्था, अहमदाबाद द्वारा आजमाया गया है।

एशिया गाइड डेवलपमेन्ट ग्रुप के सदस्य

- स्कूल के बच्चों को एच.आई.वी./एड्स के बारे में शिक्षित करें जिससे उनमें एच.आई.वी./एड्स का डर और इससे जुड़ी गलत धारणाएँ कम हों। बच्चों के साथ मिलकर ऐसी शिक्षा-सामग्री तैयार करें जो आम लोगों में एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित लोगों और साथ रहने वाले लोगों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करें।

ऐसे व्यवहारिक तरीकों की पहचान करें जो स्कूली बच्चों को शिक्षा द्वारा जीवन कौशल उपलब्ध करवाएँ।

संभवित कार्य :

- बच्चे जिन पर घर की जिम्मेदारीयां होती हैं और जो घर के बाहर काम करने जाते हैं उनके लिये स्कूल में वैकल्पिक सुविधाएँ बनाना।
- रात्रि स्कूल या सामुदायिक स्कूलों की स्थापना करें।
- दूरवर्ती शिक्षा (Distance Learning) कार्यक्रमों का विकास करें।

शिक्षा के लाभ उठाने के लिये बच्चों को मानसिक और भावनात्मक रुप से तैयार करना।

संभवित कार्य :

- समुदाय के विश्वसनीय सदस्यों की पहचान करें जो बिना माता-पिता के बच्चों की शिक्षा में रुचि लें और उन्हें प्रोत्साहन तथा सहायता प्रदान करें।
- उन अध्यापकों की पहचान करें जो ऐसे बच्चों के लिए विशेष उत्तरदायित्व लें जिनके घर में कोई वयस्क नहीं हैं।

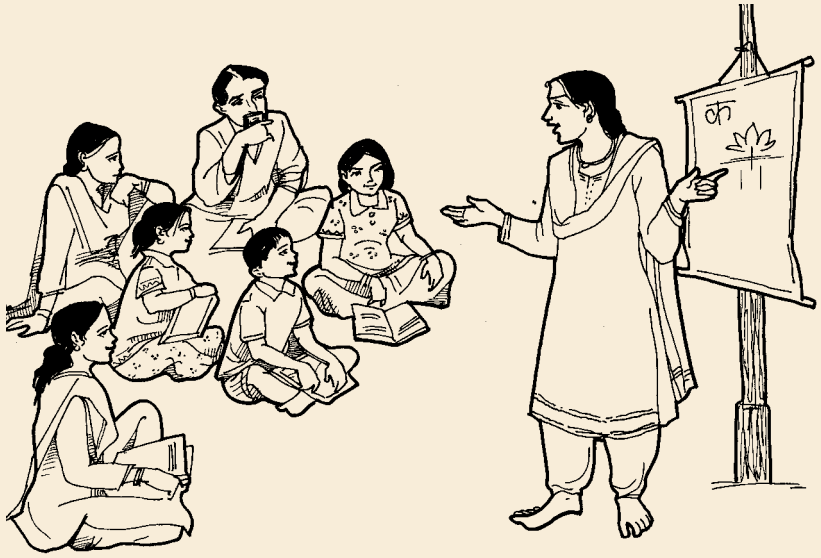

सिद्धांत एवं रणनीतियाँ

सिद्धांत - 3

स्कूल की भूमिका को सुदृढ़ बनाना चाहिए।

एच.आई.वी./एड्स के बारे में जानकारी प्रदान करने में, कलंक और भेदभाव का सामना करने में, और एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित बच्चों को अन्य सेवाओं तक पहुँचाने तथा उनकी सहायता करने में स्कूल एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। स्कूल जीवन कौशलों को विकसित करा सकते हैं, जिससे बच्चे स्वयं अपनी सुरक्षा कर सके। इसलिए स्कूल में ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जो प्रभावित बच्चों को सहायता प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सके। स्कूलों को प्रोत्साहित करें कि वे ऐसी शिक्षा दें जो बच्चों और उनके परिवारों के दैनिक जीवन में प्रासंगिक हो।

कार्य के लिये रणनीतियाँ

स्कूलों को प्रोत्साहित करें कि वे उन्हीं विषयों को पढ़ाएँ जो उपयोगी हो।

संभवित कार्य :

- प्राथमिक स्कूल के पाठ्यक्रम की समीक्षा करें।
- शिक्षा के लिये बुजुर्गों की भूमिका को बढ़ाएँ और स्थानीय ज्ञान और जानकारी का उपयोग करें।
- विषयों को पढ़ाने में व्यवहारिक कौशलों को भी शामिल करें जैसे गणित पढ़ाते समय सिखायें कि चीजें खरीदने पर उनके पैसे कैसे चुकाये जाते हैं।
- स्कूलों को प्रेरित करें कि वे सामुदायिक सेवा को भी अपने पाठ्यक्रम में जोड़ें। उदाहरणतः प्रभावित परिवारों के लिये बच्चों को साथ रख कर श्रमदान करना।
- स्कूल में शिक्षा के मूल्यांकन और सुधार में समुदायों को भी जोड़ें।
- अध्यापकों को प्रशिक्षण दें और उन्हें संवेदनशील बनाएँ जिससे वे परामर्श, भावनात्मक और व्यवहारिक सहायता प्रदान कर सकें। अध्यापकों के लिये सहायक नेटवर्क भी स्थापित करें।

स्कूल में एक ऐसा वातावरण तैयार करें जहाँ बच्चों के अधिकारों का सम्मान हो और वे सुरक्षित महसूस करें।

संभवित कार्य :

- बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे स्वयं अपनी कलाकृतियों से कक्षाओं को सजाएँ।
- जो बच्चे बीमार हैं उन्हें परामर्श के लिए समय और स्थान प्रदान करें।
- साथियों द्वारा परामर्श स्थापित करें और बच्चों में अच्छे संस्कार को बढ़ावा देने के लिये स्कूलों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें जिसमें बच्चे ही एक दूसरे के साथ चर्चा करते हों।

जो बच्चे बीमारी के कारण या घर के कामों के कारण कुछ दिन स्कूल नहीं जा सकते या बीच में ही स्कूल छोड़ देते हो उनकी पढ़ाई जारी रखने की कुछ रणनीतियाँ तैयार करने के लिये स्कूलों को प्रेरित करें।

संभवित कार्य :

- जो पाठ छूट गए हो उन्हें पढ़ाने की व्यवस्था करें। यह कार्य बड़े बच्चों या पढ़े-लिखे बुजुर्गों द्वारा भी करवाया जा सकता है।

सिद्धांत एवं रणनीतियाँ

- समुदाय में ऐसे क्लब शुरु करें जहाँ बच्चे जाकर अपने होमवर्क में सहायता प्राप्त कर सकें।
- बच्चों को एक दूसरे की सहायता करने के लिये प्रोत्साहित करना।
- सेवानिवृत्त और स्वैच्छिक शिक्षकों को संगठित करें जिससे वे बच्चों को पढ़ाई में सहायता दे सकें।

- स्कूलों तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बीच संपर्क बढ़ाइये और ऐसी व्यवस्थाओं का विकास करें जिसमें अध्यापक, प्रभावित बच्चों की आवश्यकताओं को समझें और उन्हें सहायता के लिए उचित व्यक्तियों के पास भेजें।
- समुदाय की अनेक व्यापक गतिविधियों के लिये स्कूलों का उपयोग करना जैसे, एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित बच्चों की देखभाल प्रदान करने वालों का प्रशिक्षण और सहायता, सामुदायिक क्लब, वयस्कों और स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा आदि।

मेरी कलम से...

दिल्ली में एक स्वयंसेवी संस्था चेल्सीया उन बच्चों के लिये अनौपचारिक शिक्षा-कक्षाएँ चलाती हैं जो औपचारिक स्कूलों में नहीं जा सकते। पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों को वहाँ अलग-अलग गतिविधियाँ करवाई जाती हैं जिससे उनकी वहाँ आने की इच्छा बनी रहें और वे व्यवहारिक ज्ञान पा सकें।

एशिया गाइड डेवलपमेन्ट ग्रुप के सदस्य

मेरी कलम से...

जीवनोपयोगी शिक्षा...

अहमदाबाद में चेतना संस्था 120 शहरी और ग्रामीण स्कूलों में एच.आई.वी./एड्स शिक्षा कार्यक्रम चला रही है। यह कार्यक्रम स्कूलों के प्रधानाचार्यों और माता-पिताओं के साथ समर्थन कार्यशालाएँ आयोजित करता है जिससे इनकी अनुमति और सहायता प्राप्त हो। कार्यक्रम में प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है जिससे अध्यापकों और छात्रों का संप्रेषण और सहभागी पद्धति में ज्ञान और कौशल बढ़ें। चेतना शिक्षा के सरल साधनों का उपयोग करती है जैसे ऐसे एप्रनों का प्रयोग जिसमें पुरुष और स्त्री के प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी चित्र हों। चेतना ने एक बाल मेला भी आयोजित किया है जिसमें सभी स्कूलों ने भाग लिया। इसमें अलग-अलग जगहों में स्टॉल लगाकर एच.आई.वी./एड्स के बारे में जानकारी प्रदान की गई थी और बच्चों के चित्रों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी।

एशिया गाइड डेवलपमेन्ट ग्रुप के सदस्य

सिद्धांत एवं रणनीतियाँ

सिद्धांत - 4

बच्चों के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण की सहायता देना।

हमें यह जानना चाहिये कि एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित बच्चे या जो गरीब वर्ग से होते हैं या अकेले होते हैं, उन्हें अधिकतर काम करना पड़ता है। उन्हें अपना तथा परिवार का गुजर-बसर करना होता है। कुछ बच्चे काम के साथ स्कूल भी जाते हैं परन्तु कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काम के लिये स्कूल छोड़ देते हैं। यदि ऐसे बच्चे जो कभी स्कूल जा पाते हैं, उन्हें व्यवहारिक और उपयोगी व्यवसायिक कौशल सिखाए जाएँ तो वे अवश्य आत्मनिर्भर बन सकेंगे और भविष्य में भी उनके लिये रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

कार्य के लिये रणनीतियाँ

व्यवसायिक क्षेत्र में किस प्रकार के लोगों की जरुरत है, इसकी बेहतर समझ के लिए अनुसंधान में सहायता करें जिससे संबंधित व्यवसायिक कौशल का विकास किया जा सकें।

समुदाय में बच्चों को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाये।

संभवित कार्य :

- व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों से संबंध स्थापित करें और प्रशिक्षण नेटवर्कों का विकास करें।
- देखभाल करने वाले और स्कूल न जाने वाले युवाओं के व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिये स्कूल की सहायक संरचना का शाम को और सप्ताह अन्त में उपयोग करें।

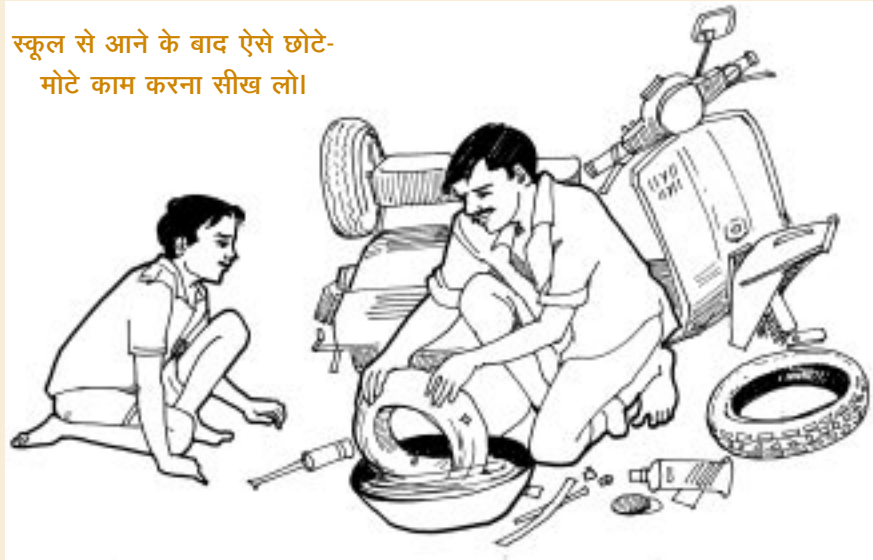

- समुदाय के हस्तशिल्पकारों और अन्य कुशल कारीगरों को व्यवहारिक कौशल सिखाने के लिये शामिल करें।
- धार्मिक संगठनों, औद्योगिक गृहो और निजी क्षेत्र में कार्य करने वालों को प्रेरित करें कि वे व्यवसायिक प्रशिक्षण में सहायता दें जैसे - प्रशिक्षण के लिये मंदिरों या व्यवसायिक परिसरों का उपयोग।
- स्थानीय कारीगरों के साथ काम करके काम सीखने की योजनाएँ स्थापित करें।
- स्कूलों में बच्चों के लिये व्यवसायिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए। माता-पिता/शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से शिक्षकों और उन माता-पिता के बीच सहयोग को बढ़ावा दें जो अपने व्यवसायिक हुनर को सबके साथ बाँटने को तैयार हो।

सिद्धांत एवं रणनीतियाँ

सिद्धांत - 5

बच्चों को एच.आई.वी./एड्स के बारे में शिक्षित करना चाहिए।

बच्चों को एच.आई.वी./एड्स की जानकारी की जरुरत है, तभी वे उसके संक्रमण से अपना बचाव कर सकेंगे। इसमें स्कूल एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कार्यक्रम उन बच्चों को अपना लक्ष्य बनाएँ जो स्कूल में नहीं पढ़ते हैं और जिन्हें इस संक्रमण के लगने की विशेष संभावना है। जैसे - सड़क पर रहने वाले बच्चे तथा यौनकर्मीओं के बच्चे।

कार्य के लिये रणनीतियाँ

- स्कूल अधिकारियों को प्रोत्साहित करें कि वे छात्रों को एच.आई.वी./एड्स के बारे में स्पष्ट जानकारी दें और स्कूल पाठ्यक्रम में यौन स्वास्थ्य और जीवन की कलाओं की शिक्षा को भी सम्मिलित करें।

स्कूलों में जानकारी बढ़ाने के लिये एच.आई.वी./एड्स की शिक्षा प्रदान करना, सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा और कौशलों का विकास करना।

संभवित कार्य :

- शिक्षकों को एच.आई.वी./एड्स के बारे में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करें। इसमें सिखने के सहभागी और सक्रिय तरीकों का उपयोग करें जो प्रभावित और संक्रमित बच्चों की स्थिति के प्रति संवेदनशील हों।
- स्कूलों में बड़े बच्चों को एच.आई.वी./एड्स के प्रति जागरुक बनाने के लिये स्वैच्छिक संस्थाओं, एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित लोगों के साथ रहने वाले समूह और धार्मिक संगठनों का उपयोग करें।

संतो से उपयोगी जानकारी।

- बच्चों के लिए एच.आई.वी./एड्स की शिक्षा के कार्यक्रमों की योजना बनाते समय समुदायों और माता-पिताओं को भी उनमें जोडें। ऐसे तरीकों का उपयोग करें जो उनकी संस्कृति के अनुरुप हों और जो बच्चों और परिवारों के दैनिक जीवन के लिए प्रासंगिक हो। तभी परिवारों की सहायता सुनिश्चित होगी।
- एच.आई.वी./एड्स और जीवन कौशलों का प्रशिक्षण देने के लिये स्कूल में पढ़ने वाले व स्कूल के बाहर के युवाओं को शिक्षित करें और हम उम्र साथियों और युवा शिक्षकों का समर्थन करें।

सिद्धांत एवं रणनीतियाँ

मेरी कलम से...

कोलकता में एक स्वयंसेवी संस्था परंपरागत कलाओं और मनोरंजन की गतिविधियों के स्थान के रुप में पहचानी जाती है। वहां यौन और प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य के बारे में परामर्श और जानकारी प्रदान की जाती है। इस तरह वह युवाओं की समस्याओं का समाधान करती है और समुदाय के वयस्कों को इसमें आपत्ति भी नहीं होती।

- जो युवा और बच्चे स्कूल नहीं जाते और बहुत कम पढ़ना-लिखना जानते हैं, उनके लिये उपयुक्त तरीकों और सामग्री का विकास किया जाए।
- बच्चों और युवाओं को एच.आई.वी./एड्स के बारे में सही जानकारी देने के लिये मीडिया का उपयोग करें।

एप्रन के उपयोग से माहमारी की प्रक्रिया की समझ।

मेरी कलम से...

लक्ष्मी एक गरीब परिवार की छोटी बेटी है। बचपन में उसे लकवे का रोग हो गया था और परिवार में कोई उसकी विशेष परवाह नहीं करता था। लक्ष्मी ने बताया कि मेरा दाखिला सरकारी स्कूल में करवा दिया गया पर वहाँ सब मेरी ओर ताकते और मेरा मजाक उड़ाते थे। शिक्षिका के लिये मैं एक बोझ बन गई थी और वे मेरी माँ से कहते थे कि वह रोज किसी सहायक को मेरे साथ भेजे। अंत में मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। एक दिन मैं **अमर ज्योति स्कूल** में गई। इस स्कूल में मुझे अन्य बच्चों और शिक्षक से सहयोग और सन्मान मिला। उनकी सकारात्मक प्रेरणा मिलने के बाद मुझमें काफी परिवर्तन आया और मेरा आत्मविश्वास बढ़ा।

अब लक्ष्मी के चहरे पर एक चमक है और वह खुशी से पढ़ती है, सभी बच्चों के साथ घुल मिल कर रहती है।

एशिया गाइड डेवलपमेन्ट ग्रुप के सदस्य

कुछ उपयोगी पते

World Vision of India
Delhi Project Monitoring Office
YMCA Premises, 1-JaiSing Road,
New Delhi-110 001
Ph: 011-23349063/2339062

Mr. Devid (Area Officer)
World Vision of India
1 Krishna Kunj Apartment
Opp. Preetamnagar Akhada
B/h. Yog Sadhan Ashram
Ellisbridge, Ahmedabad-380006
Ph: 079-26582258

World Vision of India
Above Hotel Vrindavan
Kanpura, Vyara-394650 Surat District

Jessy
World Vision, India
Plot No-208, Ward -12/C,
Lilashahnagar, Gandhidham,
Gujarat-370201
Email: GIndia_Project@wvi.org

Ms.Sarojben Zaveri-President
Ms.Bharati S.Gandhi
Jyoti Sangh
Relief Road, Pattarkuwa
Ahmedabad-380001
Ph: 079-25351708/25353908

Ms.Harsha Medh (Secretary)
Jyoti Sangh Udyog Bhavan
Bhimjipura, Nava Wadaj
Ahmedabad-380013

AKANKSHYA
Ex. Co-ordinator
Model HIV Counselling Centre
R.No. 542, 5th Floor, New O.P.D. Block,
Safdarjung Hospital, New Delhi

Mr. Mital Shah
SEWA
C/o Sewa Reception Centre
Near Victoria Garden, Ellisbridge
Ahmedabad-380001
Ph: 079-25506444/25506477
Fax: 079-25506446
Email:mail@sewa.org,sewass@icenet.net

Adv.Indira Jaisingh
Ms.Shalini
Lawyers Collective
53 Masjid Road
Jangpura, New Delhi
Phone: 011-24313904
Email: mailto:wri@vsnl.net

Veena Johri
Legal Officer
Lawyers Collective HIV/AIDS Unit
4th Floor, Jalaram Jyot, 63 Janmabhoomi
Marg, Fort, Mumbai - 400 001
Ph:022-2830957, 2852543
Fax: 022-2823570
Email: layers@bom2.vsnl.net.in

Mr. Amar Vyas
The Young Citizens of India
Charitable Trust, Mehsana
16, Vittal Park Society, Department-2,
Mehsana-384002
Ph-02762-259439
Fax: 02762-255802
Email- ycict_amarvyas@rediffmal.com

Ms. Madhavi Sindhe
Committed Communities
Development Trust
Senior Coordinator HIV/AIDS Related
Programmes
8, Pali Chimbai Municipal School, St.
Joseph Road, Chimbai, Bandra (West)
Mumbai-400 050
Ph: 022-26443345, 26458473
Email: ccdtrust@bom.5.vsnl.net.in
Website: www.ccdtrust.org

Mrs. Neelam Dang (Secretary)
Women's Action Group
CHELSEA
1543, Sector-29, Noida-201303
Email: magoo@vsnl.com,
neelamdang2001@yahoo.com

Himalini Verma, Programme Officer
Thoughtshop Foundation
188/90 Prince Anwar Shah Road,
Pin-70045, Kolkata, India
Ph.033-24176129/24176128
Fax: 033-24640059
Email: Thoughts@vsnl.com

शिक्षा और विकास - मेरा अधिकार

इंडिया एच.आई.वी./एड्स एलायन्स

इंडिया एच.आई.वी./एड्स एलायन्स (एलायन्स इंडिया) अंतरराष्ट्रीय एच.आई.वी./एड्स एलायन्स का एक भाग है और इसका नीतिगत उद्देश्य भारत में एड्स के प्रति सामुदायिक प्रयासों को बढ़ाना तथा एड्स के निवारण, देखभाल और उसके प्रभाव को कम करने वाले प्रयासों को लोगों तक पहुँचाना है। इंडिया एलायन्स समुदाय केन्द्रित प्रभावी एड्स प्रयासों का व्याप बढ़ा कर, सुदृढ़ नेतृत्व और सिविल सोसायटी की एड्स के लिए प्रतिक्रिया हेतु क्षमता विकास तथा सामुदायिक एड्स प्रतिक्रियाओं के लिए प्रतिबद्ध है। एलायन्स संस्थागत संगठनात्मक और नीति सम्बन्धी परिस्थितियों में सुधार के माध्यम से एड्स की समस्या को सम्बोधित करता है।

इंडिया एलायन्स की नीतिगत प्राथमिक्ताओं में घर तथा समुदाय आधारित देखभाल व सहायता, एड्स प्रभावित बच्चे, एच.आई.वी./एड्स के साथ जी रहे लोगों की सकारात्मक और अर्थपूर्ण सहभागिता, विभिन्न समुहों के साथ रोकथाम कार्यक्रम तथा किये गये प्रयासों की निरंतरता शामिल है।

इंडिया एलायन्स दिल्ली, आंध्रप्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में चार लीड पाटनर्स तथा 50 से अधिक गैर-सरकारी संगठनों को तकनीकी, योजनाविषयक, संगठनात्मक विकास सम्बन्धी तथा वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इंडिया एलायन्स व सभी साथी संस्थाएँ भारत में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको), राज्य एड्स नियंत्रण समीतियों तथा अन्य मुख्य भागीदारों के सहयोग से कार्य करते हैं।